




MP STORE PURCHASE RULES

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


प्रशाखाई
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
सहपुरा जिला डिण्डोरी (म.प्र.)

क्रमांक: एफ 9-20/2021/अ-73

भोपाल, दिनांक 13/01/2023

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015
(यथा संशोधित-2022)

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।

संलग्न: -उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी. नरसिं)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 9-20/2021/अ-73

भोपाल, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर।
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, एमएसएमई, म.प्र. भोपाल।
7. उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. उप नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेख सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. प्रेस अधिकारी, जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015
(यथा संशोधित-2022)

भाग - 1 वस्तुओं का उपार्जन

1. प्रस्तावना (Introduction)

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022)" लागू करता है।

2. प्रभावशीलता (Applicability)

ये नियम मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, पंचायत एवं नगरीय निकायों, राज्य शासन की 50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपक्रमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों पर प्रभावशील होंगे। ये नियम राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर विनिर्दिष्ट निकाय, संस्थान अथवा अभिकरण आदि पर भी लागू होंगे। यह नियम निम्नलिखित संस्थानों की उन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे, जहां पर म.प्र. के हस्तशिल्पियों / कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्री का क्रय, विक्रय हेतु किया गया हो :-

क्र.	संस्था का नाम	गतिविधि
1.	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में

3. परिभाषाएँ (Definitions)

- 3.1 क्रयकर्ता (Indentor) से अभिप्रेत है क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी।
- 3.2 सामग्री (Goods) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली वस्तुयें लेकिन इसमें पुस्तकें, प्रकाशन, सामायिक पत्र-पत्रिकायें आदि शामिल नहीं हैं।
- 3.3 उपार्जनकर्ता अभिकरण से अभिप्रेत है क्रयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री / सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा नियम 6 के तहत अधिकृत संस्था।
- 3.4 जेम (GeM) से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-marketplace)
- 3.5 प्रदायकर्ता (Supplier) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोग हेतु वस्तुयें / सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता / सेवा प्रदाता / उद्यम / विभाग / संस्था / फर्म / प्रदेश में गठित स्व-सहायता समूह / व्यक्ति आदि।
- 3.6 निविदा प्रपत्र (Tender Document) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सामग्री/सेवा की आवश्यकता, मात्रा, तकनीकी विवरण एवं विशिष्टियां, क्रय/उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड, अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि / गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियां समाहित हों तथा जिसका प्रकाशन निविदा दस्तावेज के रूप में किया गया है।
- 3.7 निविदा (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री / सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव।
- 3.8 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।
- 3.9 निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।

- 3.10 निविदाकर्ता (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी ।
- 3.11 आरक्षित सामग्री (Reserved Item) से अभिप्रेत है समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन नियम 6 अनुसार इन नियमों के परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित वस्तुएँ ।
- 3.12 अनारक्षित सामग्री (Unreserved Item) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री ।
- 3.13 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-7 अंतर्गत परिभाषित प्रदेश में स्थापित उद्यम ।
- 3.14 मध्यप्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थल एवं पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हों।
- 3.15 Quality and Cost Based Selection (QCBS) से अभिप्रेत है गुणवत्ता और लागत आधारित चयन की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया जिसमें प्रस्ताव की गुणवत्ता और सेवाओं की लागत के दृष्टिगत सफल निविदाकर्ता का चयन ।
- 3.16 स्टार्टअप से अभिप्रेत है, वे स्टार्टअप जिनको भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इण्डिया संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय म.प्र. राज्य में स्थित हो ।
- 3.17 स्थानीय सामग्री (Local content) से अभिप्रेत है भारत में किया गया मूल्य संवर्धन ।
- 3.18 प्रथम श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class-I Local Supplier) से अभिप्रेत है ऐसा प्रदायकर्ता/सेवा प्रदाता, जिनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा / सामग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक का मूल्य संवर्धन देश में किया गया हो।
- 3.19 द्वितीय श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता (Class-II Local Supplier) से अभिप्रेत है ऐसा प्रदायकर्ता / सेवा प्रदाता, जिनके द्वारा प्रदान की जा रही

सेवा / सामग्री में न्यूनतम 20 प्रतिशत या उससे अधिक, परन्तु 50 प्रतिशत से कम का मूल्य संवर्धन देश में किया गया हो ।

- 3.20 क्रय प्राथमिकता का प्रतिशत (Margin of purchase preference) से अभिप्रेत है कि एल-1 दर से क्लॉस 1 स्थानीय प्रदायकर्ता द्वारा अधिक प्रस्तुत की गई दरों की अधिकतम सीमा ।
- 3.21 MP Tenders Portal से अभिप्रेत है म.प्र. शासन द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु अधिकृत / संसूचित पोर्टल ।
- 3.22 PQR (Pre Qualification Requirement) से अभिप्रेत है निविदा हेतु निर्धारित पूर्व अर्हता ।

4. क्रय के मूल सिद्धांत :

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे ।

विभागों द्वारा GeM Portal अथवा MP tender Portal में से किसी भी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए । GeM Portal के माध्यम से खरीदी करने पर भी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) का पालन किया जाना बंधनकारी है ।

5. क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे । निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्द्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे ।

6. राज्य शासन के उपक्रमों से बिना निविदा आमंत्रित किये सेवाओं के उपार्जन का प्रावधान :
- (i) राज्य शासन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट-अ में वर्णित वस्तुओं का क्रय इन नियमों के परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) शासन के निम्न संस्थानों का उपयोग उनके समक्ष दर्शाई गई सेवाओं के उपार्जन के संबंध में किया जा सकेगा। सक्षम क्रयकर्ता अधिकारी इन संस्थानों को निम्नलिखित सेवाओं के उपार्जन हेतु बिना निविदा आमंत्रित किये सीधे आदेश दे सकेंगे अथवा इसका उपार्जन खुली निविदा के माध्यम से कर सकेंगे:-

क्र.	संस्था का नाम	सेवा
1.	म.प्र. माध्यम	प्रचार-प्रसार, प्रिंटिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा
2.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	केटरिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा
3.	म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम	शैक्षणिक पुस्तकें
4.	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPSEDC)	सॉफ्टवेयर विकास, सैटेलाइट ईमेज आदि के उपार्जन एवं विश्लेषण संबंधी कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं ड्रोन से संबंधित सेवाएं
5.	उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (CEDMAP)	प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु
6.	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड	औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के उपार्जन हेतु संपादित दर संविदा
7.	एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.	दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी उत्पाद

7. अनारक्षित सामग्री का क्रय/उपार्जन :

अनारक्षित सामग्री का क्रय नियम 8, 9 एवं 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार क्रयकर्ता द्वारा किया जाएगा। ऐसी सामग्री की दरें जेम (GeM) में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा जेम (GeM) से सामग्री क्रय की जा सकेगी। चाहे गये स्पेसिफिकेशन उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के तहत क्रय किया जा सकेगा।

GeM पोर्टल से क्रय किये जाने की दशा में दरों की युक्तियुक्तता (Reasonability of rate) क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी। GeM पोर्टल से क्रय की स्थिति में क्रय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

8. रूपये 50,000/- तक की सामग्री का बिना कोटेशन के क्रय :

बिना कोटेशन के सामग्री के क्रय (Purchase of Goods without Quotation) के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री का क्रय GeM पोर्टल / स्थानीय बाजार के माध्यम से किया जा सकेगा।

क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार किया जा सकेगा।

9. विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय :-

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों की विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी। अर्धशासकीय संस्थाओं में विभागीय क्रय समिति का गठन संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा प्रबंध संचालक, आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी) के द्वारा किया जाएगा। विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक

अवसर पर रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अधिक और रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री का क्रय किया जा सकेगा ।

विभागीय क्रय समिति में उचित स्तर के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमें से यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा । यह समिति जेम पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विक्रेताओं में से न्यूनतम तीन निर्माताओं के उत्पादों की उपयुक्तता, गुणवत्ता, विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन) और प्रदाय अवधि आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर न्यूनतम दर के निर्माता से उत्पाद क्रय करने की अनुशंसा निम्नानुसार प्रमाण-पत्र पर करेंगे :-

"प्रमाणित किया जाता है कि हम
क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है, वह आपेक्षित विनिर्देशनों (स्पेसिफिकेशन) और गुणवत्ता के अनुरूप है ।"

इस पद्धति का उपयोग वर्ष में पांच बार (समस्त बजट शीर्ष में) से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा ।

10. निविदाओं के संबंध में :

(10.1) खुली निविदा :-

(10.1.1) क्रय की जाने वाली सामग्री तथा सेवाओं का अनुमानित मूल्य रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक होने अथवा नियम 9 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय न होने की दशा में खुली निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जायेगी । खुली निविदा हेतु <https://mptenders.gov.in> की ई-टेण्डरिंग प्रणाली अथवा जेम (GeM) से भी निविदा आमंत्रित की जा सकेगी । निर्माण कार्य (Tender of Works) से संबंधित निविदाएं MP Tenders Portal पर यथावत् आमंत्रित की जा सकेंगी ।



CLASS 3 EMPLOYEE APPOINTMENTS RULES

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भाँ डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2014—भाद्र 6, शक 1936

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-38-2013-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग अधीनस्थ (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय), तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

विद्यमान अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-1 (नियम 4 एवं 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	*9300-3-4800+3000	*ब्रह्मस्वरोप कमेटी की अनुशंसा के अनुसार.
2	लेखापाल	2	—”—	5200-20200+2400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	सहायक ग्रेड-2	2	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	5200-20200+2400	*ब्रह्मस्वरूप कमेटी की अनुशंसा के अनुसार.
4.	स्टोरकीपर	1	— " —	*5200-20200+2400	
5	सहायक ग्रेड-3	6	— " —	5200-20200+1900	
6	शीघ्रलेखक	2	— " —	5200-20200+2800	
7	स्टेनोग्राफिस्ट	3	— " —	5200-20200+1900 +125 विशेष चेतन.	
8	केयर टेकर	1	— " —	5200-20200+1900	
9	मुख्य अनुवादक	2	तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय)	9300-34800+3200	
10	ऑडिटर	2	— " —	9300-34800+3600	
11	प्रबंधक	1	— " —	9300-34800+3200	
12	सहायक प्रबंधक	1	— " —	5200-20200+2800	
13	स्टेज टेक्नीशियन	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) (तकनीकी)	5200-20200+2400	
14	फिल्म ऑपरेटर	1	— " —	5200-20200+2400	
15	ए.सी. ऑपरेटर	1	— " —	5200-20200+2400	
16	साउण्ड ऑपरेटर	1	— " —	5200-20200+1900	
17	इलेक्ट्रीशियन	1	— " —	5200-20200+1900	
18	कारपेंटर	1	— " —	5200-20200+1900	
19	वाहन चालक	2	— " —	5200-20200+1900	
सुपरन्यूमेरी पद					
20	उप प्रबंधक	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय)	9300-34800+3200	संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ-20-14/2000/सं/30, भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2003 द्वारा निर्मांकित पदों को "सुपरन्यूमेरी" घोषित किया गया है:-
21	शोध सहायक	1	— " —	5200-20200+2800	
22	अनुवादक	1	— " —	5200-20200+2800	
23	कैशियर	1	— " —	5200-20200+2400	
24	सहायक ग्रेड-2	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	5200-20200+2400	
25	वाहन चालक	2	तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) (तकनीकी)	5200-20200+1900	

अनुसूची-2
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(ग) देखिए]	अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6-'क' [नियम 6(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा 6-'ख' [नियम 6(ख) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संस्कृति	अधीक्षक	1	-	100%	-	-
संचालनालय	शीघ्रलेखक	2	50%	50%	-	-
मध्यप्रदेश, भोपाल.	लेखापाल	2	-	100%	-	-
	सहायक ग्रेड-2	2	-	100%	-	-
	स्टोर कीपर	1	-	100%	-	-
	स्टेनो टायपिस्ट	3	100%	-	-	-
	सहायक ग्रेड-3	6	75%	25%	-	सहायक ग्रेड-3 के 25 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो. मध्यप्रदेश, शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से उत्तीर्ण की हो एवं शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जो सेवा के 5 वर्ष नियमित रूप से पूर्ण कर चुके हों.
	केयर-टेकर	1	-	100%	-	केयर टेकर के पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से उत्तीर्ण की हो एवं शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जो सेवा के 5 वर्ष नियमित रूप से पूर्ण कर चुके हों.
	ऑडिटर	2	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति से (कोष एवं लेखा)
	प्रबंधक (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.	मुख्य अनुवादक	2	-	100%	-	पदोन्नति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के साथ कम से कम 10 वर्षों का लिपिकीय कार्य का अनुभव.
	सहायक प्रबंधक (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	-
	स्टेज टेक्नीशियन (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	-
	फिल्म ऑपरेटर (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	-
	ए.सी. ऑपरेटर (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	-
	साउण्ड ऑपरेटर (रवीन्द्र भवन).	1	100%	-	-	-
	इलेक्ट्रीशियन (रवीन्द्र भवन).	1	-	100%	-	हायर सेकेण्डरी 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिसके पास मध्यप्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (आई.टी.आई. या पॉलिटेक्निक) से वायरमैन का डिप्लोमा हो.
	कारपेंटर	1	100%	-	-	-
	वाहन चालक	2	100%	-	-	-

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश.	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> हायर सेकेण्डरी 10+2 के अंतर्गत 12वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण तथा मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण की हो. निम्नलिखित में से किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो :- (एक) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट.</p>
स्टेनो टाईपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष		<p>1. हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो.</p> <p>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से उत्तीर्ण तथा मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो.</p> <p>3. निम्नलिखित में से किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो :-</p> <p>(एक) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट.</p>
✓ सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	40 वर्ष		<p>1. हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो.</p> <p>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् अथवा शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो.</p> <p>3. निम्नलिखित में से किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो :-</p> <p>(एक) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	साउण्ड ऑपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो. मध्यप्रदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था (आई.टी.आई. या पॉलीटेक्निक) से डिप्लोमा. साउण्ड ऑपरेटर के रूप में किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निगम-मण्डल में पांच वर्ष का अनुभव. ध्वनी और प्रकाश उपकरणों का ज्ञान.
	कारपेंटर	18 वर्ष	40 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> हायर सेकेण्ड्री 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो. मध्यप्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था (आई.टी.आई. या पॉलीटेक्निक) से डिप्लोमा. कारपेंटर के रूप में किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निगम-मण्डल में पांच वर्ष का अनुभव. स्टेज निर्माण के बारे में अनुभव प्रमाण-पत्र.
	वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	गिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो. वाहन चालन का लायसेंस प्राप्त हो. सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निगम या मण्डल में वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र.

अनुसूची-चार

(नियम 15 देखिए)

अनु- क्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है.	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है.	पदोन्नति के लिए सेवा का अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभ्यक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	लेखापाल (प्रशिक्षित) कैशियर	अधीक्षक	5 वर्ष 7 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य. 	अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. साथ ही उच्च प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
2	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	अनुवादक	मुख्य अनुवादक.	5 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. 	सहायक ग्रेड-2 से पदोन्नत "मुख्य अनुवादक" द्वारा केवल लिपिकीय कार्य ही संपादित किया जाएगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	सहायक ग्रेड-2	मुख्य अनुवादक	5 वर्ष	(3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
3	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	शोध सहायक सहायक प्रबंधक	प्रबंधक	5 वर्ष 5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रवीन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
4	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	स्टेनोग्राफिस्ट स्टेनोग्राफर	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
5	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	स्टेज टेक्नीशियन फिल्म आपरेटर ए.सी. आपरेटर स्टोरकीपर	सहायक प्रबंधक	7 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
6	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	कारपेंटर / इलेक्ट्रीशियन / साउण्ड आपरेटर स्टोरकीपर	स्टेज टेक्नीशियन / फिल्म आपरेटर / ए.सी. आपरेटर	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रवीन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	1. रवीन्द्र भवन में होने वाले सभी तकनीकी कार्यों का ज्ञान कम्प्यूटर प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त कर्मचारी. 2. सभागृह से संबंधित प्रत्येक कार्यकलापों के पांच वर्ष के अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	सहायक ग्रेड-3 (लेखा प्रशिक्षित) सहायक ग्रेड-3	लेखापाल सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रविन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	लेखापाल के पद हेतु लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य है. लेखा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की पदोन्नति केवल लेखापाल के पद पर ही की जाएगी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. सहायक ग्रेड-2 के पद पर लेखा अप्रशिक्षित, सहायक ग्रेड-3 की पदोन्नति की जाएगी.
8	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	केयर-टेकर	स्टोरकीपर	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रविन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
9	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय).	दफ्तरी/भृत्य/ चौकीदार/ स्वीपर/स्टेज हेल्पर.	इलेक्ट्रीशियन	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रविन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	
10	संस्कृति विभाग (संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश).	दफ्तरी/भृत्य/ चौकीदार/ स्वीपर/स्टेज हेल्पर.	कारपेंटर / साउण्ड ऑपरेटर.	5 वर्ष	(1) आयुक्त/संचालक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. (2) उप संचालक, संस्कृति संचालनालय—सदस्य. (3) सहायक संचालक प्रशासन—सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी, रविन्द्र भवन—सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से, आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रथम श्रेणी अधिकारी—सदस्य.	कार्यालय, रवीन्द्र भवन से साउण्ड ऑपरेटर एवं कारपेंटर के पद 100% सीधी भरती के तकनीकी पद हैं. यदि संचालनालय या रवीन्द्र भवन के अनुभवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपरोक्त पदों की अर्हताएं (शैक्षणिक एवं तकनीकी) पूर्ण करते हैं तो प्रथमतः उन्हें वरिष्ठतानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर संचालक संस्कृति के अनुमोदन से पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी."

Bhopal, the 28th August 2014

No. F-01-38-2013-XXX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Culture Department Subordinate (Directorate of Raj Bhasha Evam Sanskriti) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-I

(see rule 4 and 5)

(Classification of Services, Pay Scale and number of Posts included in the Service)

S.No.	Name of the post	Number of posts	Classification	Payscale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	1	Class III (Ministerial)	*9300-34800+3600	*As per recommendations of Brahmaswaroop Committee.
2	Accountant	2	—"	5200-20200+2400	
3	Assistant Grade-II	2	—"	5200-20200+2400	
4	Storekeeper	1	—"	*5200-20200+2400	
5	Assistant Grade-III	6	—"	5200-20200+1900	*As per recommendations of Brahmaswaroop Committee.
6	Stenographer	2	—"	5200-20200+2800	
7	Steno typist	3	—"	5200-20200+1900+125 Special Pay	
8	Caretaker	1	—"	5200-20200+1900	
9	Head Translator	2	Class III (Non-ministerial)	9300-34800+3200	
10	Auditor	2	—"	9300-34800+3600	
11	Manager	1	—"	9300-34800+3200	
12	Assistant Manager	1	—"	5200-20200+2800	
13	Stage technician	1	Class III (Non-ministerial) (Technical)	5200-20200+2400	
14	Film Operator	1	—"	5200-20200+2400	
15	A. C. Operator	1	—"	5200-20200+2400	
16	Sound Operator	1	—"	5200-20200+1900	
17	Electrician	1	—"	5200-20200+1900	
18	Carpenter	1	—"	5200-20200+1900	
19	Driver	2	—"	5200-20200+1900	
Supernumerary Posts					
20	*Deputy Manager	1	Class III Non-clerical	9300-34800+3200	* The following posts have been declared supernumerary under culture department's order F-20-14/2000/San/ 30 Bhopal Dated 28th July 2003.
21	*Research Assistant	1	—"	5200-20200+2800	
22	*Translator	1	—"	5200-20200+2800	
23	*Cashier	1	—"	5200-20200+2400	
24	*Assistant Grade-II	1	Class III clerical	5200-20200+2400	
25	*Driver	2	Class III (Non-clerical) (Technical)	5200-20200+1900	



Abhimanu

शासकीय स्नातक महाविद्यालय
राहपुरा जिला डिण्डोरी (म.प्र.)